दैनिक भास्कर 02/07/2024

जीएमएन कॉलेज में नए आपराधिक कानून पर किया व्याख्यान

अम्बाला। जीएमएन कॉलेज में नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा करते प्रवक्ता।

अम्बाला | गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज कैंट में नए आपराधिक कानून और उसके क्रियान्वयन विषय पर व्याख्यान किया गया। कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. सुरेंदर कुमार की ओर से सेमिनार हॉल में कार्यक्रम किया गया। कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉ. सीमा कंसल ने बताया कि ये नए आपराधिक कानून अर्थात् भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। ये कानून क्रमश भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। प्रवक्ता डॉ. कृष्ण पुनिया ने नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी और उनकी व्यवहारिकता पर अपने विचार भी साझा किए।